86/2021/I/88494/2021-71-2099/476/2019

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
रायबरेली,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 12 अगस्त, 2021

विषय:- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली के विस्तार हेतु भूमि क्रय किये जाने के संबंध में वित्तीय वर्ष 2021-22 में पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा एकमुश्त धनराशि के अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-650/डीएलआरसी-एम्स/2021, दिनांक 06 अप्रैल, 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली के विस्तार हेतु ग्राम - दरियापुर व सुल्तानपुर आईमा के 228 कृषकों के 20.177 हेक्टेयर (19.0136 हे0 + 1.1634 हे0) कृषि भूमि (परिसम्पत्तियों सहित) के क्रय किये जाने हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली के विस्तार हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रशसकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या- 21/2020/239/71-2-2020-30/2012, दिनांक 27-02-2020 एवं शासनादेश संख्या-30/2020 /71/ 71-2-2020-30/2012, दिनांक 13-03-2020 का द्वारा एम्स रायबरेली के विस्तार हेतु ग्राम-दरियापुर व सुल्तानपुर आईमा के 228 कृषकों के 19.0136 हे0 कृषि भूमि (परिसम्पत्तियों सहित) के क्रय हेतु क्रमश: धनराशि रू0 1000.00 लाख व रू0 3040.32757 लाख अर्थात् कुल धनराशि रू0 4040.32757 लाख को अवमुक्त करते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त धनराशि का आहरण न हो पाने के कारण वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वीकृत धनराशि लैप्स हो गयी। जिलाधिकारी कार्यालय के आदेश संख्या- 14/डीएलआरसी-एम्स-बजट//2020, दिनांक 31-03-2020 के अन्तर्गत वरिष्ठ कोषाधिकारी, रायबरेली के माध्यम से उक्त स्वीकृत/लैप्स धनराशि शासन को वापस कर दी गयी।

3- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपरिसंदर्भित पत्र दिनांक 06-04-2021 में एम्स रायबरेली के विस्तार हेतु ग्राम- दरियापुर व सुल्तानपुर आईमा के 228 कृषकों के 20.177 हेक्टेयर (19.0136 हे0 + 1.1634 हे0) कृषि भूमि (परिसम्पत्तियों सहित) के क्रय हेतु रायबरेली में एम्स की स्थापना के मानक-मद-60-भूमि क्रय में प्राविधानित धनराशि रू0 4300.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 4286.96837 लाख (बयालिस करोड छियासी लाख छियानवे हजार आठ सौ सैतीस रूपये मात्र) प्रदान करते हुये इसके सापेक्ष उक्त समस्त धनराशि अवमुक्त किये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2021-22 में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इसका अन्य कार्यों/मदों पर व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

(2) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नही है और इस कार्य हेतु पूर्व में किसी योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।

(3) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाक घर /पी0एल0ए0 /बैंक खाते में नही रखा जायेगा।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र का विवरण समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) नियमानुसार निर्विवाद रूप से भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

(7) भूमि क्रय किये जाने के संबंध में समस्त सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखा शीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्राशिक्षण तथा अनुसंधान, 105-एलोपैथी-79-रायबरेली में एम्स की स्थापना-60-भूमि क्रय '' के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-3-609/दस-2021-2022, दिनांक 03 अगस्त, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या- /2021/ (1)/71-2-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण।
4- वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण।
5- वरिष्ठ/ मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, रायबरेली /
6- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3
7- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज ।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।